

के कारवा प्र.पत्र स्वीकार किया जाय
 नैतका उपरान्त 272/2011/223 RTI
 दशक सिंह बनाम जोगेंद्र सिंह मे
 दिनांक 6-1-14 को पारित आदेश आइस
 दाखरी स्वारिज करतै बाबत निरस्त
 किया जायत ई.पत्रावली/उ.न. डिक्री
 को जावे। पत्रावली पत्र दाखिल
 उपरत मे
 10/8/18